मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957

[2 दिसम्बर, 1957 को विधान सभा द्वारा अनुमोदित तथा संकल्प दिनांक 16 सितम्बर, 1964, 12 सितम्बर 1965, 30 नवम्बर, 1967, 21 दिसम्बर, 1972, 16 मई 1973, अधिसूचना क्रमांक 3828-एफ-4-80-संका-इक्कीस-अ., दिनांक 4 फरवरी, 1980, अधिसूचना क्रमांक 7600-इक्कीस-अ-स-का., दिनांक 30 मार्च 1981, अधिसूचना क्रमांक 9182-इक्कीस-अ (सं. का.) दिनांक 21 अप्रैल, 1981, अधिसूचना क्रमांक 22991-इक्कीस-अ (सं. का.), दिनांक 24 सितम्बर 1982, तथा अधिसूचना क्रमांक फा-4-अड़तालीस-87 (सं. का.) दिनांक 5-3-87, 28 अप्रैल 89, 8 सितम्बर 89, 1 अप्रैल 1994 एवं 11 अप्रैल, 1997 तक संशोधित.]

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम, 1957 कहे जावें.

2. (1) इन नियमों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो—

(क) "सभा" से आशय मध्यप्रदेश विधान सभा से है;

(ख) "दिन" से आशय मध्यरात्रि को प्रारंभ और समाप्त होने वाले प्रति दिन से है;

(ग) "बैठक" से आशय सभा की बैठक से या समिति की बैठक से है;

(घ) "बैठक का स्थान" से आशय भोपाल से या ऐसे अन्य स्थान से है, जो बैठक के लिये निश्चित किया जाय;

(ङ) "निवास स्थान" से आशय सदस्य के सामान्य निवास स्थान से है, जो विधान सभा सचिवालय की पंजी में दर्ज हो, यदि ऐसा स्थान मध्यप्रदेश के अन्दर हो, और यदि किसी सदस्य का सामान्य निवास स्थान, मध्यप्रदेश के बाहर हो, तो सदस्य द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान से है, जो मध्यप्रदेश के अन्दर हो तथा सदस्य के सामान्य निवास स्थान से समीपतम हो;

(च) "सदस्य का निवास" से आशय उस गृह से है, जहां सदस्य यथास्थिति, अपने निवास-स्थान में या बैठक के स्थान में निवास करता हो;

(छ) "समिति के बैठक के दिन" से आशय वस्तुतः बैठक होने के दिन या दिनों से या तथा बैठक के उस दिन या उन दिनों के ठीक पहले के और ठीक बाद के एक दिन से है.

1[(ज) "सचिव" विधान सभा के अन्तर्गत आता है विधान सभा का कोई अन्य ऐसा अधिकारी जो कि अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया गया हो.]

(2) जिन पदों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा इन नियमों में नहीं दी गई है किन्तु जिनकी परिभाषा मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्यों (के वेतन और भत्ते) संबंधी अधिनियम, 1956 (संख्या 4, 1957) में दी गई है, उनके वे ही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में निर्धारित किये गये हैं;

---

1. म. प्र. राजपत्र (असा.), दिनांक 6-2-80 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 3828 एफ. 4-80-सं. का., दिनांक 4 फरवरी, 1980 द्वारा जोड़ा गया.

3. [1]["(1) यदि—

(एक) किसी सदस्य का निवास स्थान सम्मिलन के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो और ऐसा निवास स्थान रेल द्वारा या ऐसी सड़क द्वारा, जिस पर कि राज्य परिवहन उपक्रम की बसे चलती हों, जुड़ा हुआ न हो, या

(दो) सम्मिलन का स्थान कोई ऐसा स्थान हो जो रेल द्वारा या ऐसी सड़क द्वारा जिस पर कि मध्यप्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम की बसें चलती हों, जुड़ा हुआ न हो,

तो वह सदस्य—

(क) ऊपर (एक) की दशा में, अपने निवास स्थान से निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम बस स्टाप तक की यात्रा तथा वहां से वापसी की यात्रा के संबंध में,

(ख) ऊपर (दो) की दशा में, सम्मिलन में, सम्मिलन के ऐसे स्थान के निकटतम रेलहेड या मध्यप्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम बस स्टाप से सम्मिलन के स्थान तक की यात्रा तथा वहां से वापसी की यात्रा के संबंध में,

[2][50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा.

(1-क) यदि किसी सदस्य का निवास स्थान भोपाल से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो और ऐसा सदस्य भोपाल में सत्र या सम्मिलन में हाजिर होने के प्रयोजन के लिये या वहां से अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये यानि कि स्वयं की मोटर कार से यात्रा करता है, तो वह की गई ऐसी यात्रा के लिये [3][(3 रुपया)प्रति किलोमीटर की दर से] यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिये "अपनी स्वयं की मोटर कार" से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसका रजिस्ट्रीकरण मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का सं. 4) के अधीन सदस्य के नाम से है.]

[4][(1-कक) यदि किसी सदस्य का निवास स्थान सत्र या किसी समिति के सम्मिलन के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हो और ऐसा सदस्य सत्र में या किसी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये अपने निवास स्थान के निकटतम विमानतल (एयर पोर्ट) से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिये वायुयान के किराया की प्रतिपूर्ति का [5][वातानुकूलित शयन-यान] के रेल किराया के दुगने के बराबर की रकम की सीमा तक हकदार होगा:

---

1. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 3-4-81 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 7600-इक्कीस-क (सं. का.), दिनांक 30 मार्च, 1981 द्वारा स्थापित.
2. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 15-12-89 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 571-अड़तालीस-89 (सं. का.), दिनांक 14 दिसम्बर, 1989 द्वारा स्थापित.
3. म. प्र. राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल 1997 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 639-एक-(दो)-66-अड़तालीस-97 दिनांक 9 अप्रैल, 1997 द्वारा स्थापित.
4. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 5-3-87 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक फा. 4-अड़तालीस-87 (सं. का.), दिनांक 5-3-87 द्वारा स्थापित.
5. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 1-4-94 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 437-एक-(2)-84-अड़तालीस-91 (सं. का.), दिनांक 1 अप्रैल, 1994 द्वारा स्थापित.

परन्तु वायुयान की टिकिट की दूसरी पर्त (काउन्टर फाइल) प्रस्तुत करेगा और यदि दूसरी पर्त (काउन्टर फाइल गुम जाती है या अपातगत हो जाती है तो वह इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयान से की गई संबंधित यात्रा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा.]

[1](1 क-क-क) प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो अधिनियम की धारा 5-ख की उपधारा (2) में वर्णित प्रकार की या करता है, वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिये वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति हेतु उतनी रकम के लिए हकदार हो जो वातनुकूलित शयनयान के रेल किराए की रकम के दुगुने के बराबर हो:

परन्तु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा अधिनियम की धारा 5-क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्व की गई यात्रा तथा धारा 5-ख की उपधारा (2) के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया ग कुल व्यय छह हजार किलोमीटर के लिए वातानुकूलित शयनयान के रेल किराये के दुगुने के बराबर की रकम से अधि नहीं होगा :

परन्तु यह और कि—

(एक) ऐसा सदस्य वायुयान के टिकिट की दूसरी पर्त (काउन्टर फाइल) प्रस्तुत करेगा और यदि दूसरी गुम हो जाती है या किसी अप्राधिकृत व्यक्ति के पास हो तो उसे सुसंगत यात्रा के बारे में, यथास्थि इंडियन एयर लाइन्स या ट्रेवल एजेन्सी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(दो) इस अधिनियम के अधीन प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला सदस्य निम्नलिखित प्ररूप में एक घोष पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

घोषणा

मैं, ... एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि मैंने यात्रा और कालावधि, जिसके यात्रा भत्ता हेतु इस बिल में दावा किया गया है, के लिए यात्रा भत्ता का पूर्व में दावा किया है और ऐसी यात्रा सदस्य के रूप में मेरें कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक थी.

तारीख . . . . . .

. . . . . .

सदस्य के हस्ताक्षर

(तीन) यदि सदस्य धारा 5-ख की उपधारा (2) के अधीन राज्य के बाहर वायुयान से यात्रा करता वह उतनी रकम के रेल्वे कूपनों को अध्यर्पित करेगा, जो इस उपनियम के अधीन प्रतिपूर्ति का की जाने वाली रकम के धन मूल्य के समतुल्य हो.

स्पष्टीकरण.—"रेलवे कूपन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभि नियम, 1978 के अधीन सदस्य को जारी की गई कूपन पुस्तक.".

---

1. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 1-4-94 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 437-एक(2)-84-अड़तालीस-91 (सं. का.), 1 अप्रैल 1994 द्वारा अंत:स्थापित.

[1][(1-क क क क) प्रत्येक ऐसा सदस्य जो अधिनियम की धारा 5-ग में वर्णित प्रकार की यात्रा करता है, वह और उसके साथ चलने वाला एक व्यक्ति दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए स्टीमर के किराये की प्रतिपूर्ति हेतु उतनी रकम के लिए हकदार होगा, जो प्रथम श्रेणी के रेल के किराये की रकम के दुगुने के बराबर हो:

परन्तु—

(एक) ऐसा सदस्य स्टीमर टिकिट की दूसरी पर्त (काउन्टर फ़ाइल) प्रस्तुत करेगा और यदि दूसरी पर्त गुम हो जाती है या किसी अप्राधिकृत व्यक्ति के पास हो तो उसे सुसंगत यात्रा के बारे में संबंधित स्टीमर कम्पनी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(दो) यदि इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले सदस्य ने अधिनियम की धारा 5-ग में यथाविनिर्दिष्ट किसी कामकाज के प्रयोजन के लिए, जो सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों से संबद्ध हो, स्टीमर द्वारा यात्रा की हो तो वह निम्नलिखित प्ररूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:

घोषणा

मैं, ... एतद्द्वारा, यह घोषणा करता हूं कि मैंने उस यात्रा और कालावधि, जिसके यात्रा भत्ता हेतु इस बिल में दावा किया गया है, के लिए मैने यात्रा भात्ता का पूर्व में दावा नहीं किया है और ऐसी यात्रा सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों से संबद्ध कामकाज के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी.

तारीख .....

सदस्य के हस्ताक्षर

[2][(1-ख) रेल द्वारा राज्य के बाहर यात्रा की जाय तो प्रत्येक सदस्य को, जो धारा 6 में वर्णित प्रकार की यात्रा राज्य के बाहर करता है, उसे, राज्य के भीतर अंतिम स्टेशन और राज्य के बाहर के गन्तव्य स्थान के बीच की दूरी के लिये दोनों ओर का एक-एक प्रथम श्रेणी का रेल का भाड़ा मिलेगा और ऐसा रेल का भाड़ा रेल यात्रा कूपनों के रूप में मिलेगा, जो कि धारा 5-क के अधीन राज्य के बाहर की यात्रा के लिये मिलने वाले रेल यात्रा कूपनों के अतिरिक्त होंगे.].

[3][(1-ग) प्रत्येक सदस्य, जो धारा 6 में निर्दिष्ट किए गए प्रकार की कोई यात्रा करता है, निम्नलिखित दरों पर आनुषंगिक प्रभार पाने का हकदार होगा:—

700 किलो मीटर तक की यात्रा के लिए	150 रुपये की दर से एक दैनिक भत्ता.
700 किलो मीटर से अधिक की यात्रा के लिए	250 रुपये की दर से एक दैनिक भत्ता.

---

1. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 1 अप्रैल 1994 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 437-एक (दो)-84-अड़तालीस-91 (सं. का.), दिनांक 1 अप्रैल 1994 द्वारा अंत:स्थापित.

2. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 25-9-82 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 22991-इक्कीस-अ (सं. का.), दिनांक 24-9-82 द्वारा अंत:स्थापित.

3. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 11 अप्रैल 1997 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 639-एक (दो)-66-अड़तालीस-97 दिनांक 9 अप्रैल 1997 द्वारा स्थापित.

[1][(2) किसी सत्र के दौरान या किसी समिति की बैठक के दिनों में सम्मिलित स्थान पर विराम के लिये सदस्य विराम के प्रत्येक दिन के लिये प्रतिदिन या उसके किसी भाग के लिये [2][(एक सौ पचास रुपये) की दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा.

[3][(3) यदि किसी समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी सदस्य के मध्यप्रदेश के बाहर किसी स्थान पर जाना पड़े तो वह उपनियम (1) के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का तथा ऐसे स्थान पर ठहरने के लिये [* दो सौ रुपये) प्रतितिन की दर से दैनिक भत्ता भी पाने का हकदार होगा:

परन्तु यदि वह सम्मिलन के स्थान पर अपराह्न में पहुंचता है या पूर्वाह्न में वहां से रवाना हो जाता है तो वह उस दिन के लिये केवल आधे दिन का दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा.]

4. [4][(1) प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो सम्मिलन के स्थान पर या सम्मिलन के स्थान से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर मामूली तौर पर निवास करता है—

(क) किसी समिति के बैठक के प्रत्येक दिन के लिये, और

(ख) सब रूल (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सत्र के दौरान के प्रत्येक दिन के लिये [5][एक सौ पचास रुपये] प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जायगा.

(2) किसी सत्र के दौरान ऐसे स्थान की दशा में जो कि सात या सात से अधिक दिनों तक का हो, वह केवल सात दिन के लिये दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा.]

5. (1) [6][* * * *]

5. [7][(1) यदि सत्र के चालू रहने की अवधि में कोई सदस्य अधिक से अधिक सात दिन के लिए बैठक का स्थान छोड़ कर चला जाय, तो वह ऐसी अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु वह ऐसी अनुपस्थिति के लिए दैनिक भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा यदि वह सात दिन से अधिक लगातार अनुपस्थित रहता है."]

(2) किसी सत्र के दौरान ऐसे स्थगन की दशा में जो कि सात या सात से अधिक दिनों तक का हो, यदि कोई ऐसा सदस्य जिसका निवास स्थान सम्मिलन के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हो, सम्मिलन के स्थान को छोड़ देता हो, तो वह रूल 3 के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा और यदि वह सम्मिलन के स्थान पर ठहरता है, तो वह ठहरने के समस्त दिनों में से सात से अनधिक दिनों के लिये दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा.

(3) कोई भी सदस्य उसी दशा में नियम 3 के अधीन यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जब कि वह सत्र के प्रारंभ होने से अधिक से अधिक 30 दिन पूर्व बैठक के स्थान पर पहुंचे या सत्र की समाप्ति के अधिक से अधिक 30 दिन बाद उस स्थान को छोड़े.

---

1. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 19-12-72 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 37354-इक्कीस-अ-(सं. का.) दिनांक 18-12-72 द्वारा स्थापित.
2. एवं 3. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 5-3-87 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक फा. 4-अड़तालीस-87 (सं. का.) दिनांक 5-3-87 द्वारा अंत:स्थापित.
4. म. प्र. अधिनियम क्र. 19 सन् 1978 द्वारा स्थापित.
5. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 11 अप्रैल 97 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 639-एक(दो)-66-अड़तालीस-97 दिनांक 9 अप्रैल 97 द्वारा स्थापित.
6. म. प्र. अधिनियम क्र. 19 सन् 1978 द्वारा विलोपित.
7. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 28-4-89 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 16-89-अड़तालीस (सं. का.) दिनांक 28-4-89 द्वारा स्थापित. 9 मार्च 1989 से प्रवृत हुआ.
2. एवं 8. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 11 अप्रैल 1997 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 639-एक-(दो)-66-अड़तालीस-97 दिनांक 9 अप्रैल 1997 द्वारा स्थापित.

[1][(4) जब उसी स्थान पर (एक) विधान सभा के सम्मिलन तथा किसी समिति के किसी सम्मिलन के या (दो) किसी समिति के किसी सम्मिलन तथा उसी समिति के या किसी अन्य समिति के या विधान सभा के किसी अन्य सम्मिलन के बीच छ: दिन में अनधिक का अन्तराल हो और जिस दिन में किसी सदस्य का उपस्थित होना अपेक्षित हो, तो वह अन्तराल के दिनों के लिये दैनिक भत्ता पाने का हकदार तभी होगा जब कि वह सम्मिलन के स्थान पर रुके, अन्यथा नहीं.]

6. (1) यात्रा भत्ते का हिसाब लगाने के लिये दो स्थानों के बीच की यात्रा उस मार्ग से की गई मानी जायेगी जो दो या अधिक संभव मार्गों में सबसे छोटा हो, अथवा बराबर दूरी वाले छोटे मार्गों से सबसे कम खर्च वाला हो.

(2) रेल यात्रा की दशा में सबसे छोटा मार्ग वह होगा, जिसके द्वारा यात्री अपने गन्तव्य स्थान को सबसे जल्दी पहुंच सके.

(3) यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि किसी सदस्य के निवास स्थान से बैठक के स्थान तक रेल यात्रा की दशा में, सामान्य छोटे मार्ग को छोड़ कर अन्य मार्ग से सदस्य की सुविधा के लिये आवश्यक यात्रा संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो अध्यक्ष उस सदस्य को ऐसे मार्ग से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है और तदुपरान्त वह मार्ग उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ छोटा मार्ग समझा जायेगा.

7. यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद उपस्थित हो तो विवाद-प्रश्न अध्यक्ष के पास भेजा जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा.

8. (1) अपनी यात्रा तथा बैठक के स्थान पर ठहरने के लिये यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता लेने के इच्छुक सदस्य को सचिव, विधान सभा के पास उसके द्वारा विहित प्रपत्र पर विवरण प्रस्तुत करना होगा.

[2][(2) विधान सभा सचिवालय देयक की दो प्रतियां तैयार करेगा और दोनों प्रतियां सदस्य के पास उसके हस्ताक्षर के लिए भेज देगा. समुचित रूप से हस्ताक्षरित देयक की प्रतियां सदस्य के पास से वापस आने पर देयक की एक प्रति जो सचिव, विधान सभा द्वारा समुचित रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होगी, सदस्य के पास उस खजाने में, जहां कि वह देयक को प्रत्याहृत करने का हकदार हो, भुनाने के लिए अग्रेषित की जायगी].

(3) सत्र की कालावधि में, कोई भी सदस्य अपने यात्रा और दैनिक भत्ते के संबंध में अग्रिम धन के रूप में उतनी राशि उन दिनांकों को ले सकेगा, जितनी राशि और जो दिनांक सचिव विधान सभा द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें.

[3][9. राज्य शासन द्वारा गठित परामर्श समितियों से भिन्न समितियों या विधि द्वारा उपबंधित बोर्डों या राज्य शासन द्वारा नियुक्त बोर्डों के सदस्य, जो बैठकों में उपस्थित हों, अपने यात्रा भत्ता देयक प्रतिहस्ताक्षर के लिये शासन के सचिवालय के पास भेजेंगे, विधान सभा सचिवालय के पास नहीं.].

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 19 सन् 1978 द्वारा स्थापित.

2. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 6-2-80 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 3328-एफ-4-80 सं. का दिनांक 4 फरवरी 1980 द्वारा स्थापित.

3. म. प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 16-5-73 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-189 (एक) 73-इक्कीस-अ-(सं. का.) दिनांक 10 मई 1973 के द्वारा स्थापित.

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रपत्र 1

(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश विधान सभा के/की ..... सत्र/समिति के संबंध में की गई यात्राओं के बारे में अग्रिम लेने हेतु विवरण

1. सदस्य का नाम ..... निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .....

यात्रा का प्रकार	प्रस्थान		आगमन		दूरी	किराया	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
	स्थान	तिथि व समय	स्थान	तिथि व समय			
		आने की यात्रा					
) निवास स्थान से निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम बस स्टाप तक की गई यात्रा.							
) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा.							
) रेल द्वारा की गई यात्रा.							
) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.							
		वापसी यात्रा					
बैठक के स्थान से रेल द्वारा की गई यात्रा.							
राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा.							
निकटतम रेलहेड या राज्य परिवहन उपक्रम के बस स्टाप से निवास स्थान तक की गई यात्रा.							
अन्य प्रकार से की गई यात्रा.							

एक ही स्थान पर सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने के छः दिन पूर्व या छः दिन पश्चात् तक की अन्तरावधि में किसी अन्य समिति में उपस्थित होने पर उसका उल्लेख एवं यात्रा विवरण.

भोपाल में ठहरने के दिनों की संख्या .....

भोपाल में ठहरने का पता .....

.....

.....

सदस्य के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रपत्र 2

(नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश विधान सभा के/की ..... सत्र/समिति के संबंध में
की गई यात्रा के बारे में विवरण

1. सदस्य का नाम ..... निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .....
2. .....

	प्रस्थान		आगमन		दूरी	किराया	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
	स्थान	तिथि व समय	स्थान	तिथि व समय			
		आने की यात्रा					
(1) निवास स्थान से निकटतम रेल हेड या राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम बस स्टाप तक की गई यात्रा.							
(2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा.							
(3) रेल द्वारा की गई यात्रा.							
(4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.							
		वापसी यात्रा					
(1) बैठक के स्थान से रेल द्वारा की गई यात्रा.							
(2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा.							
(3) निकटतम रेल हेड या राज्य परिवहन उपक्रम के बस स्टाप से निवास स्थान तक की गई यात्रा.							
(4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.							

3. एक ही स्थान पर सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने के छः दिन पूर्व या छः दिन पश्चात् तक की अंतरावधि में किसी अन्य समिति में उपस्थित होने पर उसका उल्लेख एवं यात्रा विवरण .....
4. भोपाल में ठहरने के दिनों की संख्या .....
5. भोपाल में ठहरने का पता .....

दिनांक .....

.....

सदस्य के हस्ताक्षर.

मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रपत्र 3

मध्यप्रदेश विधान सभा ..... सत्र में उपस्थित रहने के लिये
दैनिक भत्ते की अग्रिम राशि लेने के हेतु विवरण

सदस्य का नाम ..... निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक .....

आगमन तिथि तथा समय (1)	अधिवेशन पर ठहरने के विगत सप्ताह के वे दिनांक जिनके बारे में इसके पहले अग्रिम राशि नहीं ली गई (2)	कैफियत (3)

दैनिक भत्ते की अग्रिम राशि के रूप में मुझे रु. ..... (रु. .....
) दिये जावें.

दिनांक .....

.....
सदस्य के हस्ताक्षर